बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

संख्याः– 3/अ0प्र0–1–273/2009 113 /पटना, दिनांक :– 13.1.21

श्री रामदयाल पासवान, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल–2 रोसड़ा के विरूद्ध पत्राचार लिपिक को योजना के कार्यान्वयन हेतु ऐजेन्सी बनाने, नियम के विरूद्ध अग्रिम देने, अग्रिम राशि का समायोजन नहीं होने पर महालेखाकर द्वारा आपत्ति दर्ज करने, मजदूरी भुगतान में अनियमितता, अग्रिम राशि पदाधिकारी/कर्मियों के पास लंबित रहने के कारण ₹12.96 लाख सूद की राशि की क्षति सरकार को होने आदि के आरोप में आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर संकल्प ज्ञापांक 7544 अनु0 दिनांक 08.06.2011 द्वारा विभागीय जांच आयुक्त के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 88 दिनांक 20.01.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री पासवान के विरूद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित पाया गया।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत जांच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए अधिसूचना संख्या–2684–सह–पठित ज्ञापांक 2685 दिनांक 19.07.2013 द्वारा श्री पासवान के विरूद्ध असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किया गया।

4. उक्त अधिरोपित दंड के विरूद्ध दायर CWJC No.-10807/2014 (रामदयाल पासवान बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.11.2017 को पारित आदेश में दण्डादेश को Priciples of Natural Justice की अवहेलना मानते हुए निरस्त कर दिया गया। साथ ही यह भी आदेश दिया गया कि अनुशासनिक प्राधिकार मामले में विधि के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकता है।

5. माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायादेश के आलोक में समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से असहमत होते हुए असहमति के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 2311 अनु0 दिनांक–13.09.2018 द्वारा श्री पासवान से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

6. श्री पासवान के दिनांक 31.01.2020 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय अधिसूचना संख्या 855 दिनांक 21.04.2020 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

7. श्री पासवान के पत्रांक 1611 दिनांक 16.11.2019 द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान में संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से असहमति के बिन्दु पर कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। मात्र यह कहा गया कि संचालन पदाधिकरी द्वारा उनके विरूद्ध किसी भी आरोप को प्रमाणित नहीं पाया था एवं इस आधार पर द्वितीय कारण पृच्छा का कोई आधार/औचित्य नहीं है।

8. उक्त आलोक में श्री पासवान द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए श्री पासवान के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(क) के तहत पेंशन से अगले तीन वर्षों तक 05 (पाँच) प्रतिशत की मासिक कटौती की शास्ति अधिरोपित के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

9. उक्त अनुमोदित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 916 अनु० दिनांक 14.05.2020 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी, जिसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1390 दिनांक 17.09.2020 द्वारा उक्त विभागीय दंड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की गयी है।

Punishment letter

13/1/2021

अतः उपरोक्त के आलोक में श्री रामदयाल पासवान, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल–2 रोसड़ा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(क) के तहत निम्न दंड अधिरोपित/संसूचित किया जाता है :–

(i) पेंशन से 5% (पाँच प्रतिशत) की राशि की मासिक कटौती अगले 03 (तीन) वर्षों तक।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

13/1/2021

(संजय दूबे)

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–273/2009 114 /पटना, दिनांक :– 13-1-21

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को एक अतिरिक्त प्रति एवं सीडी0 के साथ राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

13/1/2021

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–273/2009 114 /पटना, दिनांक :– 13-1-21

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/1/2021

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–273/2009 114 /पटना, दिनांक :– 13-1-21

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को उनके पत्रांक 1390 दिनांक 17.09.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/1/2021

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–273/2009 114 /पटना, दिनांक :– 13-1-21

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव/अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, समस्तीपुर/औरंगाबाद/कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा/अरवल/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6/लेखा शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/श्री रामदयाल पासवान, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल–2 रोसड़ा सम्प्रति सेवानिवृत पत्राचार का पताः– मोहल्ला–छपकी परड़ी, डाकघर–लक्ष्मीसागर, थाना–सदर, जिला–दरभंगा, पिनकोड–846009 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/1/2021

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–273/2009 114 /पटना, दिनांक :– 13-1-21

प्रतिलिपि :–आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

13/1/2021

विशेष सचिव

Punishment letter